तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	पत्रावली के अवलोकन पर पाया गया कि पत्रावली एक पक्षीय बहस में नियत की प्रार्थी (वादी) का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली आगामी पेशी 13-6-23 नियत की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस 13-6-23 को पेश हो। अधिवक्ता को सूचित किया गया। [initials]
13-6-23	पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता उपस्थित वादी अधिवक्ता की बहस अन्तिम वाद-पत्र पर सुनी गयी। वास्ते निर्णय पत्रावली आगामी दिनांक 21-7-23 को पेश हो। [initials]
21-7-23	पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता उपस्थित आदेश सुनाया गया वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री किया गया विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [initials]

[illegible] न्यायाधीश
[illegible] (बूंदी)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, जिला बून्दी राज०

22 / दावा / 2018
दायरा दिनांक 3.05.2018

पीठासीन अधिकारी
श्री रामकुमार वर्मा (RAS)

बउनवान

1. गोविन्द सिंह आत्मज श्री राधो सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पंचीपला तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज०
2. बालराज सिंह आत्मज श्री राधो सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पंचीपला तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज

–वादीगण

बनाम

1. नारायण सिंह आत्मज श्री भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी फजलू वाली गली, राजपूत कॉलोनी, चाँदना होटल के पीछे, नैनवा रोड बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी राज०
2. सुरेन्द्र सिंह हाड़ा आत्मज श्री भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी पाण्डेय सर्किल के पास, आजाद नगर भीलवाड़ा राज०
3. दौलत कँवर बेवा भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी फजलू वाली गली, राजपूत कॉलोनी, चाँदना होटल के पीछे, नैनवा रोड बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी राज
4. जोधराज सिंह आत्मज श्री डूँगर सिंह जाति राजपूत निवासी मकान नम्बर 20, शिव कॉलोनी, देवपुरा रोड बून्दी राज
5. दुर्गा सिंह आत्मज श्री डूंगर सिंह जाति राजपूत निवासी सिंगल ऑटोमोबाईल के पीछे, बीजासण माता रोड, इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज०
6. हरदेव सिंह आत्मज श्री फतेह सिंह जाति राजपूत निवासी मकान नं. 5– जी–7 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा
7. यतेन्द्र सिंह आत्मज श्री सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी हाल प्लॉट नम्बर 4 गेट नम्बर 1 नैनवा रोड बून्दी राज
8. नंदकंवर बेवा सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी हाल प्लॉट नम्बर 4 गेट नम्बर 1 नैनवा रोड बून्दी राज०
9. राजस्थान राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार साहब, इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज

–प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर०टी०एक्ट
उपस्थित:– श्री राजेन्द्र कुमार जैन (एडवोकेट)

निर्णय

दिनांक:–4.07.2023

वादीगण ने वाद–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि खसरा संख्या 181 रकबा 7 बिस्वा, खसरा सं. 456 रकबा 22 बीघा 11 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 22 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम पंचीपला पटवार हल्का रेबारपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज. में स्थित है। जिसके वर्तमान खसरा सं. 264 रकबा 0.0600 हैक्ट०, खसरा सं. 647 रकबा 1.6500 हैक्ट०, खसरा सं. 648 रकबा 2.00 हैक्ट० कुल किता 3 कुल रकबा 3.7100 हैक्ट० कायम हुए है। इस

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with CamScanner

आराजी के कानूनी खातेदार वादीगण है। खातेदार के रूप में ही वादीगण इस आराजी पर काबिज हैं। उपरोक्त वर्णित भूमि के मूल खातेदार श्री उम्मेद सिंह आत्मज भोपाल सिंह जी जाति राजपूत निवासी पंचीपला थे। मूल खातेदार उम्मेद सिंह जी के देहांत होने के पश्चात राजस्व अधिकारियों द्वारा तत्समय विस्तृत जांच की जाकर दिनांक 30.06.1969 को मूल खातेदार उम्मेद सिंह जी के वारिस राधो सिंह दत्तक पुत्र माधो सिंह का नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के रूप में अंकित किया गया। मृतक उम्मेद सिंह जी के वारिस राधो सिंह का देहांत होने पर राधो सिंह के वारिस वादीगण का नाम उत्तराधिकारी के रूप में दिनांक 28.05.1993 को अंकित किया गया। वादीगण वर्तमान में भी खातेदार के रूप में काबिज काश्त हैं।

राजस्व अधिकारियों की लापरवाही के कारण गलती से राजस्व जमाबंदी में वादीगण का नाम बिना समुचित सुनवाई का अवसर दिये विलोपित कर वादीगण के स्थान पर राधोसिंह, भंवरसिंह, डुंगरसिंह, फतेहसिंह, सुमेरसिंह का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया है। उक्त सभी राधोसिंह, भंवरसिंह, डुंगरसिंह, फतेहसिंह, सुमेरसिंह का देहांत हो चुका है। जिसमें राधोसिंह के वारिसान वादीगण व अन्य के वारिसान प्रतिवादीगण हैं। मई 2018 कुछ व्यक्ति वाद वर्णित भूमि की खरीद फरोक्त करने मौके पर आए। वादीगण द्वारा राजस्व रिकॉर्ड की जांच करवाकर नकलें प्राप्त करने पर जानकारी में आया कि प्रतिवादीगण का नाम राजस्व अधिकारियों की लापरवाही से राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हुआ है। प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के रूप में अंकित होने से नाजायज लाभ उठाना चाहते हैं तथा वाद वर्णित भूमि को येन–केन–प्रकारेण विक्रय करने पर आमादा हैं। प्रतिवादीगण 1 लगायत 9 वादीगण के कब्जे व खातेदारी अधिकारों में अवरोध उत्पन्न करना चाहते हैं और अन्त में निवेदन किया गया कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अंकित प्रतिवादीगण 1 लगायत 9 का नाम विलोपित किया जाकर वादीगण का नाम खातेदार के रूप में अंकित किये जाने कि घोषणा फरमाई जावे। वादीगण का नाम दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण का जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 7 बाद तामिल नोटिस नियत पेशी 23.08.2018 को उपस्थित हुए तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 व 7 नियत तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं होने से दिनांक 17.01. 2019 उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। शेष प्रतिवादीगण की रजिस्टर्ड सम्मन तामिल कराये गये। बावजूद तामिल प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहने से दिनांक 26.09.2019 को उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण द्वारा कोई खण्डनात्मक जवाब प्रस्तुत नहीं करने से पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई है।

वादीगण ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी सम्वत् 2067 प्रदर्श 1, नकल जमाबंदी सम्वत् 2046 से 2049 प्रदर्श 2, मिलान क्षेत्रफल सन् 1995 से 2015 प्रदर्श 3, नकल नामन्तकरण संख्या 103 प्रदर्श 4, नकल जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2075 प्रदर्श 5 एवं मौखिक साक्ष्य में वादी पीडब्ल्यू 1 गोविन्द सिंह का साक्ष्य शपथ–पत्र पेश किया। वादी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वादी के अधिवक्ता ने दौराने बहस वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि वाद वर्णित आराजी वादीगण के पूर्वजों से वादीगण के खाते दर्ज हुई है। दौराने सेटलमेंट जमाबंदी तैयार करते

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner

हुए बिना जांच किए हुए राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रतिवादीगण के पूर्वज व वादीगण के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया है। वाद वर्णित आराजी मूल खातेदार उम्मेदसिंह आत्मज भोपालसिंह की मृत्यु पश्चात् नामान्तकरण संख्या 103 से वादीगण के पिता के खाते दर्ज हुई। तत्पश्चात् नामान्तकरण संख्या 7 दिनांक 28.05.1993 से वादीगण का नाम दर्ज हुआ और अंत में निवेदन किया कि प्रतिवादीगण 1 लगायत 9 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित किया जाकर वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार दर्ज किया जावे।

हमारे द्वारा वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज प्रदर्श 2 नकल जमाबंदी सम्वत् 2046 से 2049 के अवलोकन करने पर मूल खातेदार मृतक उम्मेदसिंह वल्द भोपालसिंह के वारिस के रूप नामान्तकरण संख्या 103 दिनांक 30.07.1991 से उम्मेदसिंह के स्थान पर राधोसिंह दत्तक पुत्र माधोसिंह का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ तत्पश्चात् नामान्तकरण संख्या 7 दिनांक 28.05.1993 से मृतक राधोसिंह के स्थान पर मृतक के वारिसान वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना पाया जाता है। दौराने सेटलमेंट जमाबंदी बनाते समय राजस्व अधिकारियों द्वारा वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वजों का नाम राजस्व रिकॉर्ड में कैसे दर्ज हुआ। इस बाबत् संग्लन दस्तावेजात से यह कहीं भी प्रकट नहीं होता है कि किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से वादीगण का नाम विलोपित हुआ हो। उक्त तथ्यों के संबंध में न्यायहित में प्रतिवादी संख्या 9 से राजस्व रिकॉर्ड की जांच रिपोर्ट चाही जाने पर भी कोई जवाब पेश नहीं किया गया। सेटलमेंट से पूर्व जमाबंदियों में वादीगण के पूर्वजों का नाम दर्ज होना एवं सेटलमेंट के बाद की जमाबंदी में प्रतिवादीगण का नाम दर्ज होना राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों की सहवन से त्रुटि होना प्रतीत होता है। वादीगण के प्रस्तुत जवाब दावे का प्रतिवादीगण द्वारा कोई खण्डनात्मक जवाब पेश नहीं होने से वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार इन्द्रगढ को आदेश दिया जाता है कि विवादित आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 181 रकबा 7 बिस्वा, खसरा सं. 456 रकबा 22 बीघा 11 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 22 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम पचीपला पटवार हल्का रेबारपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज. में स्थित है। जिसके वर्तमान खसरा सं. 264 रकबा 0.0600 हैक्ट0, खसरा सं. 647 रकबा 1.6500 हैक्ट0, खसरा सं. 648 रकबा 2.00 हैक्ट0 कुल किता 3 कुल रकबा 3.7100 हैक्ट0 ग्राम पचीपला तहसील इन्द्रगढ स्थित कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 का नाम विलोपित किया जाकर उनके स्थान पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। राहिन मुताबिक जमाबंदी यथावत् रहेगा। तदनानुसार पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2023 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with CamScanner

प्राथमिक डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(O 20,Rr 6,7)
(civil Procedure Code Appendix D)

1.अज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी................................. मुकाम..................सापोटी.................व

इजलास..................श्री रामकुमार वर्मा (आर. ए. एस.)..

1 गोविन्द सिंह आ0 श्री सवोसिंह जा0 राजपूत नि0 पंचीपला तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0

2 बलराज सिंह आ0 श्री सवोसिंह जा0 राजपूत नि0 पंचीपला तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0

(वादी)

बनाम

1 नारायण सिंह आ0 श्री भंवर सिंह जा0 राजपूत नि0 फजलू वाली गली, राजपूत कॉलोनी, चौहान होटल के पीछे, नैनवा रोड बून्दी तहसील जि0 बून्दी राज0

2 सुरेन्द्र सिंह हाडा आ0 श्री भंवर सिंह जा0 राजपूत नि0 पाण्डेय सर्किल के पास, आजाद नगर भीलवाड़ा

3 दौलत कँवर बेवा भंवर सिंह जा0 राजपूत नि0 फजलू वाली गली, रराजपूत कॉलोनी, चौहान होटल के पीछे, नैनवा रोड बून्दी तह0व0 जिला बून्दी राज0

4 जोधराज सिंह आ0 श्री डूँगर सिंह जा0 राजपूत नि0 मकान नं0 20,शिव कॉलोनी,देवपुरा रोड बून्दी

5 दुर्गा सिंह आ0 श्री डूँगर सिंह जा0 राजपूत नि0 सिंगल ऑटोमोबाईल के पीछे, बीजासण माता रोड इन्द्रगढ़ जि0 बून्दी राज0

6 हरदेव सिंह आ0 श्री फतेहसिंह जा0 राजपूत नि0 मकान नं0 5–जी महावीर नगर योजना कोटा

7 यतेन्द्र सिंह आ0 सुमेरसिंह जा0 राजपूत नि0 हाल प्लॉट नं0 4 गेट नं0 1 नैनवा रोड बून्दी राज0

8 नदकंवर बेवा सुमेरसिंह जा0 राजपूत नि0 हाल प्लॉट नं0 4 गेट नं0 1 नैनवा रोड बून्दी राज0

9 राज0 राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार सा0, इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0

(प्रतिवादीगण)

दावा बाबत 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट।..................

मुकदमा नम्बर.......................22/दावा/2018.......................................सन..सह

मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु.......................................हमरे..व हाजिरी

1.श्री राजेन्द्र जैन एडवोकेट(वादी)..मिनजानिब मुद्दई...

..................................मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार इन्द्रगढ़ को आदेश दिया जाता है कि विवादित आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 181 रकबा 7 बिस्वा, खसरा सं. 456 रकबा 22 बीघा 11 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 22 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम पंचीपला पटवार हल्का रेबारपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज. में स्थित है। जिसके वर्तमान खसरा सं. 264 रकबा 0.0600 हैक्ट0, खसरा सं. 647 रकबा 1.6500 हैक्ट0, खसरा सं. 648 रकबा 2.00 हैक्ट0 कुल किता 3 कुल रकबा 3.7100 हैक्ट0 ग्राम पचीपला तहसील इन्द्रगढ़ स्थित कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 का नाम विलोपित किया जाकर उनके स्थान पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। सहिंह मुताबिक जमाबंदी यथावत् रहेगा।..मिस........................मुवक्किल

.........बाबत.................खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....को अदा करें।

आज मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .04...माह......07........सन 2021 ....को जारी की गई।

दस्तखत

मुहर मुद्दई	वकील	[illegible]	मुद्दालह	फ़ीस	[illegible]
1 [illegible]			1 [illegible]		

उपखण्ड अधिकारी
सापोटी (बून्दी)

Scanned with CamScanner

[illegible]			[illegible]		
[illegible]			[illegible]		
[illegible]			[illegible]		
[illegible]			[illegible]		
[illegible]			[illegible]		
[illegible]			[illegible]		
[illegible]			[illegible]		
[illegible]					

[illegible]

[illegible]